

दिनांक	<p style="text-align: center;">न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर हेमलता बनाम दुष्यन्त कुमार व अन्य दीवानी वाद संख्या 12/2024 सीआईएस संख्या 44/24</p>	अनुपालना टिप्पणी
17-03-2025	<p>अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। पूर्व में बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि वादी द्वारा वादपत्र के तहत वसीयत दिनांकित 16-11-1982 व दानपत्र दिनांकित 08-11-2021 को आरम्भ से ही शून्य, निष्प्रभावी और बेअसर घोषित किये जाने की प्रार्थना की है किन्तु 400 रूपये न्यायशुल्क पर उक्त वाद पेश किया है। अतः पूर्ण न्यायशुल्क प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।</p> <p>अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि वादी वसीयत दिनांकित 16-11-1982 व दानपत्र दिनांकित 08-11-2021 में पक्षकार नहीं है, ऐसी अवस्था में उसके द्वारा विधिनुसार न्यायशुल्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण में विलम्ब कारित करने के आशय से पेश किया गया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।</p> <p>उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन करने से यह दृष्टिगत होता है कि वादी द्वारा वादपत्र में यह उल्लेखित किया है कि वादी के द्वारा जिन दस्तावेजात को अपने अधिकारों के प्रति शून्य घोषित करवाये जाने की प्रार्थना की है उसमें वह पक्षकार नहीं है और राजस्थान वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 24 (ड.) के तहत उक्त वाद निश्चित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया गया है जो प्राथमिक रूप से उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया जाना दृष्टिगत होता है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी बलहीन होने से खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब दावा हेतु दिनांक 29-03-25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(अमर वर्मा) अपर जिला न्यायाधीश संख्या-3 , अजमेर</p>	